>

Title: Regarding Supreme Court's decision against SCs and STs for promotion in Government service.

श्री रतन सिंह (भरतपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर शून्यकाल में बोलने की इजाजत दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सरकारी नौकरियों में पदोन्नति आरक्षण पर तथाकथित रोक संबंधी फैसला अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के हित में नहीं है तथा इस फैसले से इन समाजों को बहुत आघात पहुंचा है। ये समाज सदियों से दबे और पिछड़े हुए हैं। भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकारों में समानता के अधिकार का अभी तक दस फीसदी लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ है।

दलित व शोषित वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को अन्य भारतीय समाज में समान रूप से विकसित एवं व्यवस्थित करने के लिए संविधान में आरक्षण का लाभ दिया गया है। परंतु इस निर्णय से अकेले राजस्थान राज्य में लगभग एक लाख चालीस हजार कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। इस निर्णय से सरकारी नौकरियों में पदोन्नति प्रभावित हुई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के लिए पूर्ववत आरक्षण मिले इसके लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन एवं निर्णय प्रदान कराएं। हम आपके बहुत आभारी होंगे।